विलोपित

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व प्रकरण क्रमांक-..................वर्ष 2018-19

निगरानी-6401/2018/सागर/भू.रा.

हीरालाल वल्द स्व. रूपनारायण विश्वकर्मा, उम्र लगभग-64 वर्ष,

निवासी-ग्राम सरखड़ी, तहसील व जिला सागर, मध्यप्रदेश---

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

गोटीराम वल्द स्व. हीरालाल प्रजापति, उम्र-लगभग-46 वर्ष,

निवासी-ग्राम सरखड़ी, तहसील व जिला सागर मध्यप्रदेश---

प्रत्यार्थी

संस्थित दिनांक-....../दिसम्बर/2018

पुनरीक्षण याचिका धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

प्रकरण के तथ्य

श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर मध्यप्रदेश द्वारा रा.अपील/प्र. क्रमांक-617-अ-70/वर्ष 2016-17 पर पारित आदेश दिनांक 25/09/2018 हेतु यह पुनरीक्षण याचिका माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष आज दिनांक को समय सीमा मे प्रस्तुत है।

वादग्रत सम्पत्ति बटवारा के पूर्व एवं बाद का विवरण-

(1) यह कि, पुनरीक्षणकर्ता हीरालाल विश्वकर्मा पिता रूपनारायण विश्वकर्मा के आधिपत्य व स्वामित्व की मौजा-सरखड़ी, प.ह.न. -169, सर्किल-जैसीनगर, तहसील व जिला-सागर मध्यप्रदेश पर स्थित भूमि खसरा क्रमांक-251/1 रकबा-0.34 हेक्टेयर भू-राजस्व अभिलेख के अनुसार मालिक काबिज चला आ रहा है तथा पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी श्रीमति केशरबाई खसरा क्रमांक 251/7 रकबा 0.17 हेक्टेयर पर विक्रय विलेख

हीरालाल

कार्यालय उपयोग हेतु

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-6401/2018/सागर/भू.रा. हीरालाल विरूद्ध गोटीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पुनरीक्षणकर्ता हीरालाल की ओर से अभिभाषक श्री अनिल प्रसाद शिवहरे उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 617-अ-70/वर्ष 2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-09-2018 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन अधिनियम 2018) का क्रियान्वयन दिनांक 25-09-2018 से लागू किया गया है । 4. यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 25-09-2018 के विरूद्ध की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 5. म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 50 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार धारा 50(2)(ख) के अनुसार द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का प्रावधान समाप्त किया गया है । 6. अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है । 4 17.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	